न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 80 / 2025
निर्णय दिनांक : 18.06.2025
GCMS NO : 2025/153

1. बिमला देवी पत्नी महेश कुमार पुत्री किस्तुरा जाति जाट निवासीनी ग्राम धातरी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू(राज.)
2. खेमाराम पुत्र किस्तुराराम सिंवर जाति जाट निवासी ग्राम धातरी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू(राज.)

................प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रा. पत्र बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री नरेश सींवर एड. उपस्थित।
2. अप्रार्थी पेरोकार राज उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ़ जिला–चूरू

–:निर्णय:–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी, कब्जा, काश्त, उपयोग–उपभोग के खेत खाता संख्या 148 के खसरा संख्या 195 तादादी 0.0505 हैक्टेयर व खसरा संख्या 481 / 196 तादादी 5.3994 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल तादादी 5.4499 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम धातरी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू स्थित है। जिसे प्रार्थना–पत्र में वादगत खेतों के नाम से सम्बोधित किया गया है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि वादगत भूमि में प्रार्थीनी संख्या का नाम चन्दादेवी पुत्री किस्तुरा व प्रार्थी संख्या 02 का नाम प्रेमाराम पुत्र किस्तुरा दर्ज है जो कि गलत है। उक्त खातेदारी में प्रार्थीगण का वास्तविक व सही नाम क्रमशः बिमला पुत्री किस्तुरा व खेमाराम सिंवर पुत्र किस्तुराराम सिंवर है।

प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को मिलने वाले सरकारी लाभांश आदि का फायदा नहीं मिल पा रहा है इसलिए प्रार्थीगण को

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त करवाना आवश्यक हो गया है। जिसके लिए वह कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को संशोधन करने हेतु आदेश फरमाने की कृपा करावें।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत रोही ग्राम धातरी में प्रार्थीनी संख्या 01 का नाम चन्दादेवी पुत्री किस्तुरा व प्रार्थी संख्या 02 का नाम प्रेमाराम पुत्र किस्तुरा दर्ज है। जबकि प्रार्थीगण के दस्तावेजों में नाम बिमला पुत्री किरतुरा एवं खेमाराम सिंवर पुत्र किस्तुराराम सिंवर दर्ज है। अतः वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण नाम बिमला पुत्री किरतुरा एवं खेमाराम सिंवर पुत्र किस्तुराराम सिंवर किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, जनाधार कार्ड की छायाप्रति, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति, आयकर विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र की छायाप्रति आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का सही तथा वास्तविक नाम बिमला पुत्री किरतुरा एवं खेमाराम सिंवर पुत्र किस्तुराराम सिंवर ही है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि के खेत खाता संख्या 148 के खसरा संख्या 195 तादादी 0.0505 हैक्टेयर व खसरा संख्या 481/196 तादादी 5.3994 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल तादादी 5.4499 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम धातरी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में दर्ज चन्दादेवी पुत्री किस्तुरा व प्रेमाराम पुत्र किस्तुरा के स्थान पर बिमला पुत्री किस्तुरा एवं खेमाराम सिंवर पुत्र किस्तुराराम सिंवर दर्ज किया जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को सर इजलास सुनाया जाकर मुद्राकिंत एवं हस्ताक्षरित किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ़ जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़

[illegible]
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)